छावनी परिषद कार्यालय
कनॉट रोड,
देवलाली छावनी – 422401
नासिक, महाराष्ट्र
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

Office of the Cantonment Board
Cannaught Road,
Deolali Cantonment – 422401
Nashik, Maharashtra
Govt. of India, Ministry of Defence

सत्यमेव जयते

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

फोन : 0253 – 2491206, फैक्स : 2492599, ई-मेल : ceodeol-stats@nic.in

"हर काम देश के नाम"

संख्या: 3955/BLD/E-8/ 1666 दिनांक 21 /05/2024

सेवा में,

श्री संदिप सुरेश ठाकरे,
द्वारा आदित्य ग्राफ़िक्स,
लॅम रोड, नाशिक रोड।

विषय: आवासीय भवन हेतु भवन आवेदन पत्र एवं नक़्शे की स्वीकृति हेतु ।

प्रिय महोदय,

संदर्भ: भगुर देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 284/1/1 प्लाट संख्या 17 पर भवन नक्शा हेतु आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 07.05.2024।

02. भवन आवेदन क्रमांक BPA-APP-DEOL-2024-03-12-003676 दिनांक 07.05.2024 में उल्लिखित भगुर देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 284/1/1 प्लाट संख्या 17 को ऑनलाइन स्वीकृति संख्या BPA-PN-DEOL-2024-05-18-002356 दिनांक 18.05.2024 (अनुलग्नक –अ) और छावनी परिषद संकल्प संख्या 08 दिनांक 16.05.2024 आवासीय भवन योजना को अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा आपको उक्त संबंध में नीचे दिए गए शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य हे और यह स्वीकृति का एक भाग है :-

01. इस कार्यालय को लिखित रूप में निर्माण शुरू होने की तारीख की सूचना दी जानी चाहिए, ऐसा न करने की स्थिति में पत्र जारी होने की तारीख को ही निर्माण शुरू होने की तारीख के रूप में माना जाएगा।

02. यह ध्यान दिया जाए कि परिषद के द्वारा किसी भी मामले में दो बार से अधिक विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

03. यदि आप इस कार्यालय को सूचित किए बिना या प्लिंथ पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना प्लिंथ स्तर से ऊपर निर्माण करते है तो आपके द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अनाधिकृत माना जाएगा। प्लिंथ स्तर के निर्माण में और स्वीकृत भवन नक़्शे में किसी भी प्रकार का विचलन / अतिक्रमण होने पर, स्वीकृति के रद्द होने का जोखिम उठाना होगा, इसे ध्यान में ले।

04. भवन नक़्शे के स्वीकृति के कारण आवेदकों और अन्य पक्षों के बीच / साथ किसी भी प्रकार की क़ानूनी विवाद उत्पन्न होने पर छावनी परिषद / मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पक्षदार नहीं बनाया जाएगा।

05. आपको विषय परिसर में 02 पेड़ लगाना होगा, जिसकी देखभाल आपके द्वारा की जायेगी एवं वह स्वीकृति का एक भाग होगा और उपरोक्त वर्णित अनुसार विभिन्न स्तरों में उसकी जाँच भी की जाएगी और जमा कि गई राशि की वापसी का दावा 08 वर्ष की अवधि के पूर्णता के बाद 01 वर्ष तक ही वैध होगा। आवेदक उपक्रम में सफल अनुपालन के अधीन यांनी लगाए गए पौधों को अच्छी तरह से बनाए रखना और यदि इस कार्यालय द्वारा जाँच के दौरान परिसर के अंतर्गत कथित संख्या में बढे हुए पेड़ पाएं गए तो 05 वर्ष की अवधि के पूर्णता के बाद ही 03 वर्ष अवधि के दरम्यान पेड़ हेतु जमा की गई राशि वापस की जाएगी। यदि उक्त निर्धारित अवधि के भीतर वृक्ष जमा की वापसी के लिए राशि का आवेदन नहीं किया गया, तो जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा और छावनी बोर्ड देवलाली खाते में जमा किया जाएगा। कृपया इसे ध्यान में रखें।

06. भवन निर्माण पूर्ण होने के 30 दिनों के अन्दर आपको इसकी जानकारी इस कार्यालय को देनी होगी, ऐसा न करने की स्थिति में भवन पर कर स्वीकृत अवधि समाप्त होने के बाद से लगायी जाएगी, कृपया इसे ध्यान में ले।

07. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82 के तहत सूचना के अनुसार, उपरोक्त पैरा (2) में उल्लिखित छावनी परिषद संकल्प के माध्यम से छावनी परिषद द्वारा आपको दिए गए स्वीकृति एवं इस पत्र के द्वारा आपको दिए गए भवन नक़्शे के अनुसरण में, आपको उक्त भवन के निर्माण / पुनःनिर्माण पूर्ण होने की तारीख एवं उक्त भवन पर कब्ज़ा किए जाने की तारीख की सूचना इस कार्यालय को देना आवश्यक है।

08. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(1) के तहत भवन के पूर्ण होने या भवन पर कब्ज़ा करने की तारीख, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के अन्दर आपको मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य है, विफल होने पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(2) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

09. आपको संशोधित विकास शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि लगाया जाता है।

10. भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात, आवेदक को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 246 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पूर्ति प्रमाणपत्र करना होगा। पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, जलसंबंधन और विद्युतीय संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा, कृपया इसे ध्यान में ले।

11. भवन निर्माण पश्चात आपको उचित पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। पूर्ति प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात ही भवन पर कब्ज़ा किया जाएगा। छावनी अधिनियम, 2006 के तहत वर्तमान उपविधियां / निर्णय अनुसार उचित नियम / प्रक्रियाओं का पालन न करने पर आवेदक को जैसा लागू हो, जुर्माना देना होगा।

12. श्रमिकों के साथ ही साथ आसपास की अन्य संपत्तियों के लिए आवश्यक सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य किया जाना चाहिए ।

13. निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए उचित साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ।

14. यदि निर्माण के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो यह मालिक की जिम्मेदारी होगी और छावनी बोर्ड किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

15. आपको स्वीकृत निर्माण स्थल पर धातु का एक बोर्ड लगाना होगा जिसपर मालिक का नाम, सर्वे संख्या, प्लाट संख्या, शिवर, स्वीकृति की तारीख और स्वीकृति की वैध अवधि आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए | धातु के बोर्ड पर ऐसा लिखा होना चाहिए की जो 50 फीट की दुरी से भी नग्न (खुली) आँखों द्वारा पढ़ा जा सके |

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित |

भवदीय| Yours faithfully,

(यू व्ही गोरवाडकर) | (UV GORWADKAR)
सहायक कार्यकारी अधिकारी | Assistant Executive Officer,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी | For Chief Executive Officer
देवलाली छावनी परिषद के लिए | Deolali Cantonment Board

संलग्न: विधिवत अनुमोदित एवं मुहर लगी हुई
स्वीकृत नक़्शे (ब्लू प्रिंट) की प्रति

इसकी प्रति: जल पूर्ति विभाग।
छावनी बोर्ड, देवलाली : उचित कार्रवाई हेतु ।

Cost of Set (3 Copies) Rs. 335/- 400/- 460/-

Cantt. 4-B / 15M / 46S Receipt No. ____________

Date : 07/05/24

004

Notice to erect or re-erect a building Under Section 235 of the Cantonments Act, 2006

From Mr. Sandip Suresh Thakre ; R/o 947, Thakre Building Wadner Road, Deolali Camp, Nashik 422401

To

THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Cantonment Board, Deolali.

Sir,

I hereby apply by giving notice under section 235 of the Cantonments Act 2006 that I intend to erect / re-erect / alter building as shown on the annexed plan and described below :-

Situation	Enclosed or open	Extent & Area	Nature of Soil	How to be laid out and the materials to be used	Bounded on the.	For what purpose the erection is to be used
S.No. 284/1/1 P.No. 17, Village Bhagur within limits of CBD	Open	Area = 162.10 Sq.mt.	Hard Murum @ 3'0" depth	GENERAL SPECIFICATION 1) P.C.C. 1:4:8 2) R.C.C. FOOTING, COLUMNS, BEAMS & SLAB 3) EXTERNAL BRICK WALSS 0.15 M. THICK 4) INTERNAL BRICK WALSS 0.10 M. THICK 5) INTERNAL NEERU / GYPSUM PLASTER 6) EXTERNAL DOUBLE COAT PLASTER 7) [illegible]ORING MOSAIC / VETRIFIED TILES 8) [illegible] BATH, W. C. AND KITCHEN 9) [illegible] W. C. AND KITCHEN DADO [illegible]CFICATION & PLUMBING [illegible]LDING WINDOW & FLUSH DOORS	East → P.No.18 West → 7.50 Colony Road North → P.No.16 South → 7.50 Colony Road	Residential Purpose

Date 7/05/24

Yours Faithfully

[signature]

Plan Section - Elevation of House, Buildings etc.

Scale not less than- eight inch to the foot

Scale 1 : 100

feet to an inch

The building plan confirms to the building bye-laws.

The building will be erected or altered as per the Sanction plan.

Date : 7/05/2024

Signature of the Applicant

Name : Mr. Sandip. S. Thakre

Complete Address : 947, Thakre Building, Wadner Road, Deolali Camp, Nasik 422 401

Tel. No. :

REFERENCE

Proposed work to be Indicated In Red
Existing work to be Indicated In Black
Demolition work to be Indicated In Green

SITE PLAN OF GROUND

Scale not less than 110 feet an Inch

Scale 1:200 feet to an Inch

1) Every person Intending to erect or re-erect a building shall apply for sanction by giving in writing to the Chief Executive Officer under section 235 of the Cantonments Act 2006 in the form appended to these bye laws and shall at the same time submit, in duplicate duly signed by him or by his agent the following :-

a) A site plan of the land on which it is intended to erect or re-erect the building drawn on tracing cloth.

b) A plan of the building which it is proposed to erect or re-erect together with a plan of the existing building if any showing platforms, balconies and other projections drawn on tracing cloth and;

c) The specifications.

Provided that if site on which it is proposed to erect a building lies out side the area declared by notifications under section 47 of Cantonments Act 2006 to be Civil (Bazar) Area the plan shall be submitted in triplicate.

Copies of the forms may be obtained on pre payment of Rs............. per set from the Cantonment Board Office.

2) The site plan shall be drawn to a scale of not less than 110 feet to an inch. The scale used shall be marked on the plan which shall clearly show :-

a) the direction of North point.

b) the boundaries & dimensions of the site on which it is proposed to erect or re-erect the building.

c) the position of the site in relation to the adjacent street.

d) the position of the site proposed Building in relation to -
i) the boundaries of the site and
ii) all adjacent streets

e) a sketch of the Building and premises together with electric wires poles within twenty feet of the boundaries of the site.

f) the names if any and with of all streets on which the site abuts, together with the numbers if any of adjoining houses or premises.

g) the names of access to the building and various floors.

h) the line of frontage of adjoining building and boundaries of adjacent building.

i) the arrangement of drains showing the manner in which the roof and the house drainage and surface drainage of the line will be disposed of

j) the position of end full details regarding all wells, drains, gutters and down sown spout latrines and other sanitary conveniences and

k) in the cases of a well the internal diameter and distance from the nearest privy.

Schedule No.

Order of CEO or Board vide Resolution No.

Date ______________________ 20

Building Plan/Revised Building Plan Sanctione vide Cantonment Board Resolution No. 08

Dated : 16.05.2024

BPA-PN-DEOL-2024-05-18-002356 Date-18.05.2024

Considered and Sanctioned under Section 238 of the Cantonment Act 2006 from municipal point of view only without prejudice to the right of ownership and subject to the terms and conditions under which the site is held by the applicant. The Sanctioned plan should be adhered to absolutely in every particular. Any deviation may entail demolition of the unauthorised erection. The work shall be commenced within two years from the date of sanction and shall be completed within two years from the date of the commencement of the work. The date of commencement of the work shall be communicated by the applicant in writing to the Chief Executive Officer. An application for extension of time to complete the construction, if required, should be made before the expiry of the date of sanction issued by the Office

Deolali

Chief Executive Officer
Deolali Cantt.

Rahul Gajbhiye

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CANTONMENT BOARD DEOLAI.

No. 3958/BLD/E-8/1666
Cantt. Board Office, Deolali

Dated

(Returned with the following Remarks)

Chief Executive Officer
Deolali Cantt.